

150 151

राजस्व मण्डल ग्वाल्थर सर्किट कोर्ट  
न्यायालय श्रीमान् ... अध्याय महोदय/रीवा, जिला रोवा मण्डल



839  
24.12.12

R-893 III/13

C.F. (R)-157

रोहनी जर्न रोहणी प्रसाद लाल भुना राम प्रानु उम्र - 40 साल,  
प्रानु अटरा कला, थाना लौर, तहसील मजगां, जिला रोवा

अधिकारिता श्री केशोक  
निवारी द्वारा प्रस्तुत  
रीवा दि. 24.12.12

*[Signature]*  
24.12.12  
JSL

मण्डल प्रानु ----- निगरानी कर्ता

जाम

- 1- निवेणने प्रसाद प्रानु उम्र - 55 साल,
- 2- निवेणने प्रानु उम्र - 48 साल,
- 3- सीताशम प्रानु उम्र - 42 साल, तीनों के पिता गंगा राम प्रानु  
प्रानु अटरा, तहसील मजगां, जिला रोवा मण्डल /

~~क~~  
27.9.13

4- शासन मण्डल प्रानु ----- गैर निगरानी कर्तागण

निगरानी विरुद्ध नाथब तहसीलदार सर्किट देवतालाम  
तहसील मजगां, जिला रोवा मण्डल द्वारा पारित  
पट्टा सीमांकन आदेश दिनांक - 29-9-12 प्रानु प्रानु -  
86/12/11-2, अन्तर्गत धारा - 50 मण्डल प्रानु प्रानु /

-: निगरानी के तथ्य :-


अ - सीमांकन द्वारा नापी गयी भूमि नं 81/13 रकबा 0-20 ए०,  
ग्राम अटरा कला, तहसील मजगां पटवारी हल्का तगरा, जिला रोवा  
मण्डल के भूमिस्वामी गैर निगरानी कर्ता प्रानु - 1, 2, 3, है, गैर निगरानी  
कर्ता गण की उक्त भूमि ग्राम अटरा कला के आखिरी सीमा में स्थित है,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.893-III/13

जिला-रीवा

रोहिनी उर्फ रोहणी प्रसाद/त्रिवेणी प्रसाद

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M